न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

पीठासीन अधिकारी–मनोज कुमार(आर0ए0एस0)

अपील संख्या– 2017/00034

बालचन्द आत्मज श्री धन्ना जी जाति माली निवासी गिरधरपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा हाल निवासी सिविल लाईन्स कोटा

– अपीलांट

बनाम

1. चौथमल पुत्र श्री धन्नालाल जाति माली निवासी गिरधरपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा
   1/1. पप्पू पुत्र स्व0 चौथमल
   1/2. नार्थी बाई पत्नि स्व० चौथमल नि० गिरधरपुरा तह० लाडपुरा
   1/3. काली बाई पुत्री स्व० चोथमल पत्नि नामालूम निवासीनी सीतापु तहसील तालेडा जिला बून्दी
2. प्रभूलाल आत्मज श्री धन्ना जी जाति माली निवासी गिरधरपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज०।
3. शंकर आत्मज श्री धन्ना जी जाति माली निवासी गिरधरपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज०।
4. कजोड़ी बाई पुत्री धन्ना जी जाति माली निवासी गिरधरपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज०।
5. श्योजी बाई पुत्री धन्ना जी जाति माली माली निवासी गिरधरपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज०।
6. सत्यनारायण पुत्र सांवला उर्फ सांवला जी जाति माली माली निवासी गिरधरपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज०।
7. मोहन पुत्र सांवला उर्फ सांवरा जी जाति माली निवासीगण गिरधरपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज०
8. कान्हा पुत्र जैल्या माली निवासी गिरधपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा(राज0)।
9. घींसी बाई बेवा छोटूलाल माली निवासी गिरखपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा(राज0)।

10. रामनिवास पुत्र दौला जी जाति माली निवासी तीन बत्ती चौराहा केशवपुरा, कोटा जिला कोटा(राज0)।

11. भेरू पुत्र दोला मृतक जर्ये कायम मुकामान

11/1 सुनील पुत्र स्व० भेरू जाति माली निवासी गिरधरपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा(राज0)।

11/2 जीतेन्द्र पुत्र स्व० भेरू जाति माली निवासी गिरधरपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा(राज0)।

11/3 कल्याणी बाई पत्नि स्व० भेरू जाति माली निवासी ग्राम गिरधरपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा(राज0)।

11/4 सुनीता पुत्र स्व० भेरू पत्नि ओम जी सुमन जाति माली निवासी गिरधरपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा(राज0)।

11/5 रेखा पुत्री स्व० भेरू पत्नि नामालूम जाति माली निवासी पातडा तहसील केशवरायपाटन जिला (राज0)।

12. मांगीलाल पुत्र पन्ना निवासी ग्राम गिरधरपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा(राज0)।

13. मनभर बेवा पन्ना मांगीलाल पुत्र पन्ना निवासी ग्राम गिरधरपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा(राज0)।

14. रामदेवा पुत्र श्रवण जी मृतक जरये कायम मुकाम–

14/1 हंसराज पुत्र स्व0 रामदेवा जाति माली ग्राम गिरधरपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा(राज0)।

14/2 देवलाल पुत्र स्व0 रामदेवा जी जाति माली ग्राम गिरधरपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा(राज0)।

14/3 कमलेश बाई पत्नि स्व० रामदेवा जाति माली ग्राम गिरधरपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा(राज0)।

14/4 कमलेश पत्नि स्व० हंसराज पुत्री रामदेवा जाति माली निवासी ग्राम गिरधरपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा

14/5 ममता पुत्री स्व0 रामदेवा पत्नि नामालूम जाति माली निवासी अपेक्स आई टी आई के पास केशयराय पाटल जिला बून्दी

15. गंगा पुत्री श्रवण जी ग्राम गिरधरपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा(राज0)।

16. मोहन पुत्र रामनारायण ग्राम गिरधरपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा(राज0)।

17. आनन्दीलाल पुत्र चतुर्भुज मृतक जरये कायम मुकाम–

17/1 कन्हैयालाल पुत्र आनन्दीलाल आयु 45 वर्ष ग्राम गिरधरपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा(राज0)।

17/2 रमेश पुत्र आनन्दीलाल आयु 40 वर्ष ग्राम गिरधरपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा(राज0)।

17/3 ओम प्रकाश पुत्र आनन्दीलाल आयु 40 वर्ष ग्राम गिरधरपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा(राज0)।
17/4 राजेश पुत्र आनन्दीलाल आयु 27 वर्ष जाति माली निवासी ग्राम गिरधरपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा
18. सीता पुत्री चतुर्भुज पत्नि छीतरलाल जी जाति माली निवासी रायपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा
19. कलावती पुत्री चतुर्भुज पत्नि महावीर जाति माली निवासी कांजी हाउस के पास बोरखेडा कोटा
20. प्रेम बाई पुत्री चतुर्भुज जी पत्नि चम्पालाल जी जाति माली निवासी ग्राम गिरधरपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा
21. देवकरण पुत्र छीतरलाल जी ग्राम गिरधरपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा(राज0)।
22. नन्दलाल पुत्र छीतरलाल जी ग्राम गिरधरपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा(राज0)।
23. आशा पुत्री छीतरलाल जी ग्राम गिरधरपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा(राज0)।
24. मंगली बेवा छीतरलाल जी समस्त जाति माली निवासीगण गिरधरपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज०
25. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब लाडपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज०

–रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित वक्त बहस–(1). रघूवीर सिंह राठौड़ – अधिवक्ता अपीलांट
(2). महेश माहेश्वरी – अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट 01 से 09
(3). जितेन्द्र चौरसिया – अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट 10, 11, 17/2 से 17/5, 21 से 24

निर्णय **दिनांक 27.06.2023**

1. अपीलांट द्वारा उक्त अपील अतंर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट कोटा जिला कोटा के प्रकरण संख्या 114/2015 प्रार्थना पत्र मे पारित निर्णय दिनांक 20.01.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि प्रार्थी अपीलांट के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी व प्रतिपक्षी संख्या लगायत 25 एक ही परिवार के है तथा देवा पुत्र श्री गुमाना जी के वारिसान है। प्रार्थी के पढदादा देवा आत्मज श्री गुमाना जी के खाते व कब्जे काश्त में ग्राम गिरधरपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा की खाता संख्या 16 सम्वत 1989–91 की ख.नं. 91/2 रकबा 15 बिस्वा ख.नं. 91/3 2 बीघा 17 बिस्वा ख.नं. 92/4 रकबा 9 बिस्वा ख.नं. 92/4 की 5 बिस्वा कुल 4 किता 4 बीघा 6 बिस्वा भूमि दर्ज रिकार्ड है, खाता संख्या 15 सम्वत 1989–91 ख.नं. 72/2 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा भूमि मन्ना पूत्र देवा के खाते दर्ज है, खाता संख्या 14 सम्वत 1992–95 की ख.नं. 110 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा ख.नं. 112 रकबा 13 बिस्वा ख.न. 151 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा कुल 3 किता 5 बीघा 8 बिस्वा मन्ना पुत्र देवा के खाते दर्ज है। प्रार्थी के पडदादा श्री देवा जी के चार पुत्र मन्ना, गज्या, भंवरा एवं भंवरिया तथा देवा भूली बाई थी जिनमें से भवरिया व भंवरा लाऔलाद थे। भंवरा का श्री देवा जी के जीवनकाल में ही स्वर्गवास हो गया था। श्री देवा जी का भी वर्ष 1938 (सम्वत् 1993) में स्वर्गवास हो गया था उस समय कोटा रियासत में रियासतकालीन कानून कोटा सक्यूलर नम्बर 3 प्रभावशील था। प्रार्थी के दादा श्री गज्या जी उस समय नाबालिग थे। श्री देवा जी के स्वर्गवास के उपरांत मन्ना आत्मज श्री देवा जी ने श्री गज्या जी के नाबालिग होने व भवरिया जी के लाऔलाद होने तथा भूली बाई के बेवा व पर्दानशील महिला होने का नाजायज फायदा उठाकर श्री देवा जी के खाते की आराजी को अवैध एवं गैर कानूनी रूप से खिलाफ कानून जाकर अपने अकेले के खाते बंधवा लिया जबकि कानूनन श्री देवा जी के खाते की उक्त आराजी तत्कालीन कानून कोटा सर्क्यूलर नं. 3 के अनुसार उनके मौजूदा पुरूष वारिसान के नाम सम्भाग से दर्ज की जानी चाहिये थे। श्री देवा जी के उक्त वारिसान में से श्री मन्ना व श्री गज्या (प्रार्थी के दादाजी) मौजूद रहे तथा शेष वारिसान लाऔलाद फौत हुए इस कारण श्री देवा जी के खाते की उक्त वर्णित आराजी में मन्ना जी के साथ साथ गज्या जी का भी समभाग से 1/2 हिस्सा एवं अधिकार सृजित हुआ। किन्तु मन्ना जी ने श्री देवा जी के स्वर्गवास के बाद गज्या के नाबालिग होने का नाजायज फायदा उठाकर उक्त संपूर्ण आराजी अपने तनहा खाते दर्ज करवा ली जो कि पूर्णयता अवैध एवं गैर कानूनी था तथा श्री गज्या जी व उनके वारिसान के हितों के विपरीत अवैध एवं प्रभावशून्य है। प्रार्थी के दादा गज्या जी बालिग होने के उपरान्त जीवन पर्यन्त उक्त आराजी में मुन्ना जी के साथ–साथ समभाग भूमि पर काश्त करते रहे। प्रार्थी के दादा श्री गज्या जी के चार पुत्र जेल्या, धन्ना, कान्हा, य रामनाथ हुए जिनमें से कान्हा व रामनाथ जी लाऔलाद फौत हो गये। प्रार्थी व प्रतिपक्षी संख्या लगायत 7 धन्ना जी के क्रमशः पुत्र पुत्री है तथा प्रतिपक्षी संख्या 8 व 9 श्री जल्या जी के वारिस है। प्रार्थी की दादी मंगली बाई का भी स्वर्गवास हो चुका है। श्री गज्या जी के स्वर्गवास के उपरांत प्रार्थी के पिता धन्ना जी व ताउजी जैल्या जी उक्त भूमि में 1/2 हिस्सा भूमि पर निरन्तर काश्त करते रहे तथा जल्या व धन्ना जी के स्वर्गवास के उपरांत उनके वारिसान उक्त भूमि पर

निरन्तर काबिज काश्त है। उक्त मन्ना जी का भी स्वर्गवास हो गया है। मन्ना जी के तीन पुत्र श्रवण, दोला, चतुर्भुज, दोली बाई पुत्री व मंगली बाई बेवा थी। मन्ना जी की पुत्री डोली बाई लाऔलाद फौत हुई है। उनकी पत्नी मंगली बाई फौत हो गई। उक्त वर्णित आराजी मन्ना जी के स्वर्गवास के उपरांत उनके पुत्रों के खाते दर्ज कर दी गई मन्ना जी के तीनों पुत्रों का भी स्वर्गवास हो चुका है। प्रतिपक्षी संख्या 10 लगायत 25 क्रमशः उनके वारिसान है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध नकल खतौनी बंदोबस्त संवत् 2016–24 में खाता संख्या 75 खसरा नं0 161 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा खसरा नं0 162 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नं0 163 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा कुल 3 किता की 6 बीघा 9 बिस्वा सरवन चतुर्भुज पुत्र मन्ना के नाम दर्ज है। खतौनी बंदोबस्त संवत् 2016–24 में खाता संख्या 21 के खसरा नं0 160 की रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा चतुर्भुज वल्द मन्ना के नाम दर्ज है, खतौनी बंदोबस्त संवत् 2016–24 में खाता संख्या 34 के खसरा नं0 129 रकबा 8 बिस्वा भूमि धन्ना वल्द गज्जा की खातेदारी में दर्ज है, नकल जमाबंदी संवत् 2035–38 में खाता संख्या 70 के खसरा नं० 127 की रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, खतौनी बंदोबस्त संवत् 2016–24 में खसरा नं0 130 रकबा 14 बिस्वा, खतौनी बंदोबस्त संवत् 2016–24 में खसरा नं० 248/222 की रकबा 2 बिस्वा कुल 3 किता की 2 बीघा 1 बिस्वा रामनिवास, भैरू पिसरान दोला, पुत्री मंगली बेवा दोला के नाम खाते दर्ज है। सेटलमेंट से पूर्व प्रार्थी के दादा गज्या जी का स्वर्गवास हो गया। मन्ना आत्मज श्री देवा जी का भी स्वर्गवास हो गया। सेटलमेंट विभाग द्वारा उक्त सेटलमेंट में मात्र खसरा नं. 129 की 8 बिस्वा भूमि धन्ना आत्मज गज्या जी वो खाते दर्ज थी। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 8 में वर्णित शेष भूमि अवैध एव गैर कानूनी रूप से मन्ना जी के वारिसान के पृथक–पृथक खाते दर्ज कर दी जो कि पूर्णयता एवं गैर कानूनी था। उक्त भूमि श्री देवा आत्मज श्री गुमाना जी के खाते की भूमि होने से उक्त भूमि मौजूदा वारिसान मन्ना व गज्या जी के अथवा उसी 1/2 हिस्सा अनुपात में मन्ना व गज्या जी के वारिसान के खाते दर्ज की जानी चाहिये थी। भू प्रबंध की नकल प्रदर्श सम्वत् 2038–57 में उक्त आराजी के हाल खाता संख्या 54 की ख.न. 236 रकबा 0.29 हैक्ट० ख.नं. 237 की 0.33 हेक्ट, ख.न. 238 की 0.02 हैक्ट०, ख.नं. 239 की 0.23 हैक्ट०, ख.नं.240 की 0.21 हैक्टर कुल 5 किता 1.08 हैक्ट0 भूमि पन्ना, रामदेव पुत्र सरवन मंगली बेवा सरवन हिस्सा 1/2 चतुर्भुज पुत्र मन्ना हिस्सा 1/2 दर्ज रिकार्ड है। भू प्रबंध की नकल प्रदर्श सम्वत् 2038–57 में खाता संख्या 22 की ख.न. 241 रकबा 0.56 हेक्टर भूमि चतुर्भुज पुत्र मन्ना के नाम खाते दर्ज है, भू प्रबंध की नकल प्रदर्श सम्वत् 2038–57 में खाता संख्या 40 की ख.नं. 216 रकबा 0.05 हैक्ट० भूमि धन्ना पुत्र गज्जा के नाम खाते दर्ज है, भू प्रबंध की नकल प्रदर्श सम्वत् 2038–57 में खाता संख्या 75 की ख.नं. 214 रकबा 0.26 हैक्टर, ख. नं. 218 की रकबा 0.09 हैक्ट० कुल 2 किता 0.35 हैक्ट० भूमि रामनिवास के नाम खाते दर्ज है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 10 में वर्णित आराजी तत्कालीन कानून के अनुसार श्री देवा आत्मज गुमाना के उत्तराधिकारी की हैसियत से श्री मन्ना व गज्या के वारिसान व समभाग से हिस्सा 1/2–1/2 दर्ज की जानी चाहिये थी किन्तु उक्त आराजी में से

साबिक ख.नं. 129 हाल 216 रकबा 0.05 हैक्ट0 आराजी को छोड़कर शेष संपूर्ण आराजी मन्ना जी व उनके वारिसान के अवैध रूप से खाते दर्ज की गई है जिसे प्रार्थी दुरुस्त करवाने का अधिकारी है। प्रार्थी, गज्या के पुत्र धन्ना जी का पुत्र है तथा उनका विधिक वारिस एवं उत्तराधिकारी है। इन सब तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने वादी अपीलांट का प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज करने मे त्रुटि की है। प्रार्थी का उक्त भूमि में श्री गज्या जी के उत्तरोतर वारिसान की हैसियत से हक एवं अधिकार तथा हिस्सा निहित है। गज्या जी का उक्त संपूर्ण आराजी में 1/2 हिस्से में समभाग से 1/4–1/4 हिस्सा निहित है। प्रार्थी भी धन्ना जी का पुत्र है। श्री धन्ना जी के दीगर वारिसान प्रतिपक्षी संख्या 1 लगायत 7 प्रार्थी का श्री धन्ना जी के निहित 1/4 हिस्से में 1/7 हिस्सा अर्थात् संपूर्ण आराजी में पृथक से 1/28 हिस्सा है। जिस पर प्रार्थी वैधानिक रूप से काबिज काश्त है। प्रार्थी प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 10 में वर्णित ग्राम गिरधरपुरा की खाता संख्या 54 की ख.नं. 236, 237, 238, 239, 240 कुल 5 किता कुल रकबा 1.08 हैक्ट खाता संख्या 75 की ख.नं. 214, 218 कुल किता 2 रकबा 0.35 हैक्ट इस प्रकार कुल 2.04 हैक्ट0 भूमि में से अपने को 1/ 28 हिस्सा भूमि (0.0728) हैक्टर का खातेदार घोषित करवाकर अपने खाते दर्ज करवाने तथा अपनी हिस्सा भूमि का विभाजन करवाकर अपने पृथक खाते दर्ज करवाने का अधिकारी है। प्रार्थी ने दिनांक 15. 07.2015 को प्रतिपक्षीगण से उनके निहित 1/28 हिस्सा भूमि को उसके खाते दर्ज करवा देने व विभाजन करवाने की कहा तो प्रतिपक्षीगण इंकार हो गये तथा उल्टा उन्होंने प्रार्थी को उक्त अराजी खुर्द बुर्द बेचान आदि कर देने की धमकी दी। अन्त मे ताफैसला वाद प्रार्थी के पक्ष में प्रतिपक्षीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा सादिर फरमायी जाने का निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 10 में वर्णित ग्राम गिरधरपुरा की खाता संख्या 54 की ख.नं. 236, 237 238, 239, 240, कुल 5 किता कुल रकबा 1.08 हैक्ट०। खाता संख्या 22 की ख.न. 241 रकबा 0.56 हैक्ट०. खाता संख्या 40 की ख.नं. 216 रकबा 0.05 हैक्ट०, खाता संख्या 75 की ख.न. 214, 218 कुल किता 2 की रकबा 0. 35 हैक्ट०। इस प्रकार कुल 2.04 हेक्टर भूमि में से अपने को 1/28 हिस्सा भूमि (0. 0728) भूमि में प्रार्थी के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नही करे तथा बिना विभाजन के उक्त आराजी को विक्रय, दान, वसीयत नहीं करे तथा कृषि से अकृषि में परिवर्तित नहीं करें, उक्त कृत्य न तो स्वयं करे, न ही अपने प्रतिनिधि से करायें।

3. उक्त आशय का प्रार्थना–पत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे अप्रार्थीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। अप्रार्थीगण संख्या 10, 11, 17 व 21 लगायत 24 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। उभय पक्षकारान की बहस सुनी जाकर दिनांक 20.01.2017 को प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अस्वीकार योग्य होने से अस्वीकार कर खारिज किया गया।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.01.2017 से असंतुष्ट होकर अपीलांट प्रार्थी ने प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया । सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्टगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। अधिवक्ता अपीलांट व अधिवक्ता रेस्पोन्डेन्ट की बहस उभयपक्ष सुनी गई।

5. अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस मे अपील मेमो मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादी अपीलांट द्वारा वाद व अपील में वर्णित आराजी को अपने दस्तावेजी साक्ष्य में पेतृक होना पूर्ण रूप से प्रमाणित किया है तथा उक्त आराजी में वादी अपीलांट हक व हिस्सा अपील में वर्णितानुसार होना प्रमाणित किया है। प्रार्थी के दादा श्री गज्या जी उस समय नाबालिग थे। श्री देवा जी के स्वर्गवास के उपरांत मन्ना आत्मज श्री देवा जी ने श्री गज्या जी के नाबालिग होने व भवरिया जी के लाऔलाद होने तथा भूली बाई के बेवा व पर्दानशील महिला होने का नाजायज फायदा उठाकर श्री देवा जी के खाते की आराजी को अवैध एवं गैर कानूनी रूप से खिलाफ कानून जाकर अपने अकेले के खाते बंधवा लिया जबकि कानूनन श्री देवा जी के खाते की उक्त आराजी तत्कालीन कानून कोटा सर्क्यूलर नं. 3 के अनुसार उनके मौजूदा पुरूष वारिसान के नाम सम्भाग से दर्ज की जानी चाहिये थे। श्री देवा जी के उक्त वारिसान में से श्री मन्ना व श्री गज्या (प्रार्थी के दादाजी) मौजूद रहे तथा शेष वारिसान लाऔलाद फौत हुए इस कारण श्री देवा जी के खाते की उक्त वर्णित आराजी में मन्ना जी के साथ साथ गज्या जी का भी समभाग से 1/2 हिस्सा एवं अधिकार सृजित हुआ। किन्तु मन्ना जी ने श्री देवा जी के स्वर्गवास के बाद गज्या के नाबालिग होने का नाजायज फायदा उठाकर उक्त संपूर्ण आराजी अपने तनहा खाते दर्ज करवा ली जो कि पूर्णयता अवैध एवं गैर कानूनी था। सेटलमेंट से पूर्व प्रार्थी के दादा गज्या जी का स्वर्गवास हो गया। मन्ना आत्मज श्री देवा जी का भी स्वर्गवास हो गया। सेटलमेंट विभाग द्वारा उक्त सेटलमेंट में मात्र खसरा नं. 129 की 8 बिस्वा भूमि धन्ना आत्मज गज्या जी वो खाते दर्ज थी। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 8 में वर्णित शेष भूमि अवैध एव गैर कानूनी रूप से मन्ना जी के वारिसान के पृथक–पृथक खाते दर्ज कर दी जो कि पूर्णयता एवं गैर कानूनी था। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 10 में वर्णित आराजी तत्कालीन कानून के अनुसार श्री देवा आत्मज गुमाना के उत्तराधिकारी की हैसियत से श्री मन्ना व गज्या के वारिसान व समभाग से हिस्सा 1/2–1/2 दर्ज की जानी चाहिये थी किन्तु उक्त आराजी में से साबिक ख.नं. 129 हाल 216 रकबा 0.05 हैक्ट0 आराजी को छोड़कर शेष संपूर्ण आराजी मन्ना जी व उनके वारिसान के अवैध रूप से खाते दर्ज की गई है जिसे प्रार्थी दुरुस्त करवाने का अधिकारी है। प्रार्थी श्री गज्या जी के पुत्र धन्ना जी का पुत्र है तथा उनका विधिक वारिस एवं उत्तराधिकारी है। इन सब तथ्यों को नजर अंदाज करते हुए अधिनस्थ न्यायालय ने वादी अपीलांट का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज करने में त्रुटि की है। साथ ही

अधिवक्ता अपीलांट ने निवेदन किया कि ग्राम गिरधरपुरा की विवादित आराजी मुताबिक संलग्न फोटोप्रति जमाबंदी सम्वत् 1989–91 खाता संख्या 16 किता 4 कुल रकबा 4 बीघा 6 बिस्वा। खाता संख्या 15 की रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, जमाबंदी सम्वत् 1992 से 1995 की कुल किता 3 कुल रकबा 5 बीघा 8 बिस्वा भूमि अपीलांट के परदादा–देवा के चार पुत्र गुमाना की खाते व कब्जा काश्त की भूमि थी। देवा के चार पुत्र मन्ना, गज्जा, भवंरा, भंवरिया तथा बेवा भूलीबाई थी। देवा के स्वर्गवास के बाद चूंकि, उस समय रियासतकालीन कानून कोटा सर्कुलर 3 प्रभावशील था, अतः उक्त वर्णित आराजी मे देवा के पुत्रों मन्ना व गज्जा का समभाग मे 1/2, 1/2 अधिकार सृजित हुआ, परन्तु राजस्व रिकॉर्ड मे सम्पूर्ण आराजी पर मन्ना पुत्र देवा की खातेदारी मे दर्ज हो गई। गज्जा पुत्र देवा का राजस्व रिकॉर्ड मे नाम दर्ज नहीं हुआ। मात्र खसरा नम्बर 129 की रकबा 8 बिस्वा, जिसके नवीन खसरा नम्बर 216 रकबा 0.05 हैक्टेयर भूमि धन्ना पुत्र गज्जा(अपीलांट के पिता) के नाम दर्ज है। शेष विवादित आराजी पर खातेदारी घोषित करवाना चाहता है। साथ ही ताफैसला वाद प्रार्थी अपीलांट के पक्ष में प्रतिपक्षीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा सादिर फरमाई जाने का निवेदन किया कि विवादित भूमि मे प्रार्थी के हिस्से 1/28 भूमि पर प्रार्थी के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त में दखलन्दाजी नही करे तथा बिना विभाजन के उक्त आराजी को विक्रय, दान, वसीयत नहीं करे तथा कृषि से अकृषि में परिवर्तित नहीं करें, उक्त कृत्य न तो स्वयं करे, न ही अपने प्रतिनिधि से करायें। अन्त मे अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर प्रार्थी के पक्ष में प्रतिवादी के विरूद्ध स्थगन आदेश जारी किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.02.2017 को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की। साथ ही अपनी बहस के समर्थन में आर. आर. डी. 1990 पृष्ठ सं0 255 व 578 तथा आर. आर. डी. 1996 पृष्ठ सं0 355 पेश किया।

6. अधिवक्ता रेस्पोन्डेन्ट कम 01 लगायत 11 तथा रेस्पोन्डेन्ट कम 17/2 से 17/5 और रेस्पोन्डेन्ट कम 21 से 24 ने अपनी बहस में कहा कि प्रार्थी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद कोटा रियासत के कानून के अनुसार प्रस्तुत किया है और उक्त कानून के तहत अप्रार्थी रेस्पोन्डेन्ट क्रम 10, 11, 17 व 21 ल0 24 को खातेदार अधिकारी उक्त कानून के तहत प्राप्त हुये थे, उक्त कानून की आपत्ति राजस्थान टीनेन्स एक्ट के तहत नही की जा सकती और ना ही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत उक्त पूर्व के अधिकार प्राप्त किये जा सकते है। हम राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 लागू होने से पूर्व से ही खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादीगण क्रम 10, 11, 17 व 21 ल० 24 वैध रूप से खातेदारी पर काश्त करते चले आ रहे है और प्रार्थी अपीलांट का उक्त भूमि पर उनके दादा श्री के समय से ही कोई कब्जा नही रहा। अपीलांट द्वारा कथन किया गया वंश वृक्ष सही नहीं है। भंवरा व भंवरया एक ही नाम के दो बेटे कैसे हो सकते है? उक्त भूमि अप्रार्थी रेस्पोन्डेन्ट को उनके दादा श्री जी के समय से ही काबिज काश्त होकर चले आ रहे हैं और उक्त भूमि पर प्रार्थी अपीलांट का कभी कोई कब्जा नही रहा। रेस्पोन्डेन्ट क्रम 10,

11, 17 व 21 लगायत 23 उनके पूर्वजों के समय से ही काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है और उक्त भूमि सेटलमेन्ट से पूर्व व सेटलमेंट के बाद उनके खातेदारी में दर्ज थी। अंत में निवेदन कर कथन किया कि प्रार्थी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज फरमायी जाये।

7. हमने उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया। । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में जमाबंदी संवत् 1989–1991 ग्राम गिरधरपूरा तहसील लाडपुरा की खाता संख्या 16 मे दर्ज खसरा संख्या 91/2, 91/3, 91/4 कुल किता 4 कुल रकबा 4 बीघा 6 बिस्वा खातेदार देवा बेटा गुमाना माली , गांव दर्ज रिकॉर्ड है। फोटो प्रति जमाबंदी संवत् 1989–1991 ग्राम गिरधरपूरा तहसील लाडपुरा की खाता संख्या 15 मे दर्ज खसरा नम्बर 72/2 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा भूमि मन्ना पूत्र देवा के खाते दर्ज है। फोटोप्रति जमाबंदी सम्वत 1992 से 1995 ग्राम गिरधरपुरा की खाता संख्या 14 मे दर्ज खसरा नम्बर 110, 112, 151 किता 3 रकबा 5 बीघा 8 बिस्वा खातेदार मन्ना बेटा देवा जात माली बास गांव दर्ज रिकॉर्ड है। जमाबंदी भू–प्रबन्ध सम्वत् 2016 से 2024 ग्राम गिरधपुरा तहसील लाडपुरा की खसरा नम्बर 161, 162, 163 कुल किता 3 कुल रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा खातेदार सरवन चतुरभुज पि. मन्ना कोम माली सा. देह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। फोटोप्रति जमाबंदी भू–प्रबन्ध सम्वत 2016 से 2024 ग्राम गिरधरपुरा तहसील लाडपुरा की खसरा संख्या 160 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा खातेदार चतुर्भुज वल्द मन्ना कौम माली सा. देह दर्ज रिकॉर्ड है। फोटोप्रति जमाबंदी भू–प्रबन्ध सम्वत 2016 से 2024 ग्राम गिरधरपुरा तहसील लाडपुरा की खसरा नम्बर 129 रकबा 8 बिस्वा खातेदार धन्ना वल्द गज्जा कोम माली सा. देह दर्ज रिकॉर्ड है। फोटोप्रति खतौनी जमाबंदी सम्वत 2035 से 2038 ग्राम गिरधरपुरा तहसील लाडपुरा की खसरा संख्या 161, 162, 163 कुल किता 3 कुल रकबा 6 बीघा 9 बिस्वा खातेदार पन्ना, रामदेव पि. सावन मुस. मंगली बेवा सावन हिस्सा 1/2 चतुर्भुज पुत्र मन्ना हिस्सा 1/2 जाति माली सा. देह दर्ज रिकॉर्ड है। जमाबंदी खतौनी सम्वत 2035 से 2038 ग्राम गिरधरपुरा तहसील लाडपुरा की खसरा नम्बर 127, 130, 248/222 कुल किता 3 कुल रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा खातेदार रामनिवास, भैरू पिस. दौला मु. मंगली बेवा दौला जाति मथरी सा.देह नाम. न. 78 दर्ज रिकॉर्ड है। फोटोप्रति जमाबंदी खतौनी सम्वत 2035 से 2038 ग्राम गिरधरपुरा तहसील लाडपुरा की खसरा नम्बर 160 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा खातेदार चतुर्भुज पुत्र माना जाति माली सा. देह दर्ज रिकॉर्ड है। फोटोप्रति खतौनी जमाबंदी सम्वत 2035 से 2038 ग्राम गिरधरपुरा तहसील लाडपुरा की खसरा नम्बर 128, 129/41 कुल किता 2 कुल रकबा 9 बिस्वा खातेदार धन्ना पुत्र गज्जा जाति माली सा. देह दर्ज रिकॉर्ड है। फोटोप्रति नकल मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2038 से 2057 ग्राम गिरधरपुरा तहसील लाडपुरा की है। नकल भू–प्रबन्ध जमाबंदी सम्वत 2038 से 2057 ग्राम गिरधरपुरा तहसील लाडपुरा

की खसरा नम्बर 236, 237, 238, 239, 240 कुल किता 5 कुल रकबा 1.08 हैक्टेयर खातेदार पन्ना , रामदेव पि. सरवन मु. मंगली बेवा सरवन 1/2 चतुर्भुज पुत्र मन्ना 1/2 जाति माली सा. देह दर्ज रिकॉर्ड है। जमाबंदी भू–प्रबन्ध सम्वत 2038 से 2057 ग्राम गिरधरपुरा तहसील लाडपुरा की खसरा नम्बर 241 रकबा 0.56 हैक्टेयर खातेदार चतुर्भुज पुत्र मन्ना जाति माली सा. देह दर्ज रिकॉर्ड है। जमाबंदी भू–प्रबन्ध सम्वत 2038 से 2057 ग्राम गिरधरपुरा तहसील लाडपुरा की खसरा नम्बर 216 रकबा 0.05 हैक्टेयर खातेदार धन्ना पि. गज्जा जाति माली सा. देह दर्ज रिकॉर्ड है। नकल जमाबंदी भू–प्रबन्ध सम्वत 2038 से 2057 ग्राम गिरधरपुरा तहसील लाडपुरा की खसरा नम्बर 214, 218 किता 2 रकबा 0.35 हैक्टेयर खातेदार रामनिवास, भैरू, पि. दोला मु. मंगली बेवा दोला जाति माली सा.देह हि.ब. दर्ज रिकॉर्ड है। जमाबंदी सम्वत 2070 से 2073 ग्राम गिरधरपुरा तहसील लाडपुरा की खाता संख्या 27 मे दर्ज खसरा संख्या 216 रकबा 0.05 हैक्टेयर किस्म चाही प्रथम खातेदार चोथमल, बालचन्द, सांवला , प्रभूशंकर, श्योजी पुत्र धन्ना कजोड़ीबाई पुत्री धन्ना जाति माली सा. देह दर्ज रिकॉर्ड है। नकल जमाबंदी सम्वत 2070 से 2073 ग्राम गिरधरपुरा तहसील लाडपुरा की खाता संख्या 83 मे दर्ज खसरा संख्या 214, 218 किता 2 रकबा 0.35 हैक्टेयर खातेदार रामनिवास, भैरू, पि. दौला नाथी पुत्री दोला जाति माली सा. देह दर्ज रिकॉर्ड है। जमाबंदी सम्वत 2070 से 2073 ग्राम गिरधरपुरा तहसील लाडपुरा की खाता संख्या 42 मे दर्ज खसरा नम्बर 239, 240 किता 2 रकबा 0.44 हैक्टेयर खातेदार धन्नालाल पित. चतुर्भुज हि. 1/4, चतुर्भुज पुत्र मन्ना हि. 1/2 जाति माली सा. देह राजकुमारी पत्नि पवनकुमार हि. 1/4 जाति अग्रवाल सा. सरस्वती कॉलोनी कोटा दर्ज रिकॉर्ड है। जमाबंदी सम्वत 2070 से 2073 ग्राम गिरधरपुरा तहसील लाडपुरा की खाता संख्या 28 मे दर्ज खसरा नम्बर 41 रकबा 0.56 हैक्टेयर खातेदार छीतर पुत्र चतुर्भुज व कान्ति पुत्री चतुर्भुज जाति माली सा.देह हि.बरा. मुर्तहिन सेन्ट्रल बैंक ऑफ इन्डिया शाखा कुन्हाडी RS 60000/- दर्ज रिकॉर्ड है। फोटोप्रति जमाबंदी सम्वत 2070 से 2073 ग्राम गिरधरपुरा तहसील लाडपुरा की खाता संख्या 4 मे दर्ज खसरा नम्बर 287/1 रकबा 0.39 हैक्टेयर खातेदार आनन्दीलाल पुत्र भवंरलाल जाति माली सा. देह दर्ज रिकॉर्ड है। अधिवक्ता अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अप्रार्थी कम 16 ने अधीनस्थ न्यायालय में अपने जवाब प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि गज्या देवा का पुत्र नहीं है। प्रार्थी अपीलांट हमारे समक्ष ऐसा कोई दस्तावेज/साक्ष्य/ जमाबंदी/ राजस्व रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किया जिससे यह स्पष्ट हो कि गज्जा पुत्र देवा की खातेदारी में कभी कोई भूमि रही हो, जिससे यह सिद्ध हो सके कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत किया गया वंश–वृक्ष सही हो। अधीनस्थ न्यायालय के इस तर्क से हम सहमत है कि मिलान क्षेत्रफल से भी विवादित भूमि की सही स्थिति स्पष्ट नहीं होती। मन्ना के नाम नामांतरण सन् 1936 में होने का कथन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 लागु होने से पूर्व ही भूमि मन्ना एवं उसके पश्चात् उसके वारिसान के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 लागू होने से पूर्व ही मन्ना व उनके वारिसान विवादित भूमि के रिकोर्डेड खातेदार रहे है। ऐसी स्थिति में

हमारे विनम्र मत में प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी अपीलांट के पक्ष में प्रतीत नहीं होता, तुलनात्मक रूप में यह मन्ना के वारिसान रेस्पोन्डेन्टगण के पक्ष में प्रतीत होता है। जहां तक कब्जे काश्त का प्रश्न है तो अपीलांट हमारे समक्ष कोई ठोस दस्तावेज/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाए, जिससे अपीलांट का विवादित भूमि पर कब्जा काश्त साबित होता हो। दूसरी ओर मन्ना व उसके रेस्पोन्डेन्ट वारिसान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व से रिकार्डेड खातेदार रहे है। इतने लम्बे समय से रिकार्डेड खातेदार होने से कब्जे की धारणा भी मन्ना एवं उसके वारिसान के पक्ष में प्रतीत होती है। चूंकि मन्ना एवं उसके वारिसान लम्बे समय से रिकॉर्डेड खातेदार रहे है अतः कब्जे काश्त की अवधारणा भी रेस्पो सं0 10 से 24 के पक्ष में प्रतीत होती है। रिकोर्डेड खातेदार को बिना किसी ठोस कारण के पाबंद किया जाना उचित नहीं है। अतः सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति का बिन्दू भी अपीलांट के पक्ष में प्रतीत नहीं होकर, तुलनात्मक रूप मे यह मन्ना एवं उसके वारिसान रेस्पोन्डेन्ट संख्या 10 से 24 के पक्ष में होना प्रतीत होता है। अतः अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनों तत्व प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति अपीलांट के पक्ष में प्रतीत नहीं होते। ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार किया जाना उचित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.01.2017 विधि सम्मत होने से हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

8. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट कोटा के प्रकरण संख्या 114/2015 मे पारित निर्णय दिनांक 20.01.2017 यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अविलम्ब लौटाई जावे।

9. निर्णय आज दिनांक 27.06.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा